**महत्वपूर्ण**

**पत्र सं0-11/2025/बी-1-1061/दस-2025**

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 26 सितम्बर, 2025

विषयः केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की SNA-SPARSH प्रणाली पर ऑनबोर्डिंग।

महोदय,

आप अवगत हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा संप्रति 66 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को SNA-SPARSH पर ऑनबोर्ड किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि माह नवम्बर, 2025 से समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निधि प्रवाह (Fund Flow) शत-प्रतिशत SNA-SPARSH के माध्यम से ही किया जायेगा। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की सूची वित्त विभाग के पत्र संख्या - 1/2025/ बी-1-156/दस-2024-25 दिनाँक 21 जनवरी, 2025 तथा पत्र संख्या- बी-1-615/दस-2025 दिनाँक 01 जुलाई, 2025 द्वारा परिचालित की जा चुकी है।

2. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को SNA-SPARSH पर ऑनबोर्ड किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस प्रक्रिया को निरन्तर सुगम बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 8/2025/बी-1-640/दस-2025 दिनाँक 10 जुलाई, 2025 एवं शासनादेश संख्या 9/2025/बी-1-672/दस-2025 दिनाँक 23 जुलाई, 2025 निर्गत किये गये है।

3. इसी क्रम में यह स्पष्ट किया जाना है कि SNA-SPARSH पर योजनाओं की ऑनबोर्डिंग को और अधिक सुगम बनाये जाने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायें:-

**(क) <u>वित्तीय स्वीकृति</u> –**

(1) प्रशासकीय विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से संपर्क कर केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु Mother Sanction निर्गत करायी जायेगी।

(2) Mother Sanction निर्गत हो जाने पर संबंधित विभाग द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

**(3)** वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, संबंधित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग द्वारा अविलम्ब सहमति प्रदान की जायेगी। **यहाँ ज्ञातव्य है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की समेकित निधि में केन्द्रांश अन्तरित नही किया जा रहा है, अतः केन्द्रांश के जमा होने की पुष्टि कराये जाने की आवश्यकता नही है।**

(4) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुये SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेज़री के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(ख) <u>SNA-SPARSH प्रणाली पर भुगतान</u>

(1) सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित करेंगें कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य बेनीफिशियरी/वेण्डर को परियोजनाओं की गाइडलाइन्स के अनुसार अनुमन्यता/देयता होने पर ही भुगतान किया जा रहा है।

(2) SNA-SPARSH के अन्तर्गत भुगतान हेतु बिल जनरेट करने वाली इकाई (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी) द्वारा मूल वाऊचर्स अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखने के निर्देश शासनादेश दिनाँक 10 जुलाई, 2025 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं। भुगतान की शुद्धता एवं भुगतानप्राप्तकर्ता (बेनीफिशियरी/वेंडर) की पात्रता व Credentials सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी के एडमिन का होगा।

(3) SNA स्तर पर प्राप्त बिलों का समेकन (Consolidation) किया जायेगा तथा समेकित बिल राज्य स्तरीय आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेज दिया जायेगा। समेकित बिल आहरण एवं वितरण अधिकारी को अग्रेषित करने के पूर्व SNA अथवा SNA द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समेकित बिल के भुगतान की स्वीकृति संबंधी आदेश निर्गत किये जायेंगे। उक्त भुगतानादेश समेकित बिल के साथ अपलोड करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा समेकित बिल, साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किया जायेगा। । चूँकि उपरोक्तानुसार प्राप्त समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अत: SNA स्तर पर पुन: परीक्षण की आवश्यकता नही होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेज़री को अग्रेषित किये जायेंगे।

(4) ***साइबर ट्रेज़री को ऑनलाइन बिल अग्रेषित करने के साथ ही बिल का प्रिंटआउट (फॉर्म 103) जिस पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं SNA (नियंत्रक अधिकारी) के प्रतिहस्ताक्षर हो, मैन्युअल बिल फॉर्म-103 जिस पर आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा SNA/ प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हो, भुगतान के स्वीकृति आदेश जिसका उल्लेख प्रस्तर 3(ख)(3) में किया गया है । GSTचालान एवं डी0डी0ओ0 पोर्टल से जनरेट contingency bill की covering के प्रिन्ट आउट साथ साइबर ट्रेज़री को प्रेषित किये जायेंगे। मैन्युअल बिल फॉर्म-103 की आवश्यकता को शिथिल करने हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है। महालेखाकार की सहमति प्राप्त होने पर मैन्युअल बिल फॉर्म-103 की आवश्यकता न रहेगी।***

(5) SNA-SPARSH प्रणाली फण्ड फ्लो के "Just in time approach" पर आधारित है। अतः इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी बैंक खाते अथवा वैयक्तिक खाते में धनराशि अंतरित नही की जानी है। अतः इस प्रणाली में

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

समस्त भुगतान सीधे बेनीफिशियरी/ वेंडर को ही किये जायेंगे तथा किसी भी धनराशि का भुगतान किसी भी Intermediary के खाते में अग्रिम रूप से नही किया जायेगा परन्तु यदि किसी योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अग्रिम भुगतान की अनुमति दी गयी है, तो ऐसे मामलों में अग्रिम भुगतान की अनुमति होगी।

(6) भारत सरकार के व्यय विभाग के पत्रांक– OM No-1-126/6/2024-ITD-CGA/64 दिनाँक 28.07.2025 में दिये गये निर्देशानुसार विभिन्न कटौतियों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन वैधानिक कटौतियों के संबंध में कोषागार प्रणाली में व्यवस्था है, वहां कोषागार प्रणाली की व्यवस्था के अनुसार ही कटौतियों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।(प्रतिलिपि संलग्न)

(7) एस0एन0ए0–स्पर्श के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनओं में हो रहें भुगतान हेतु बेनीफिशियरी /वेण्डर के बैंक खातों के विवरण एवं उन्हें भुगतान की पात्रता के सम्बंध में कोई परीक्षण साइबर ट्रेजरी के स्तर पर नहीं किया जाएगा। बिल में धनराशियों को लाभार्थी/वेण्डर के विवरण शुद्ध रूप से भरे जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग की इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी के एडमिन का होगा। किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण हुए अनियमित/अशुद्ध भुगतान के प्रति साइबर ट्रेजरी की किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी ।

(8) विभागों द्वारा अपनी विशिष्टताओं एवं व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण हेतु SNA-SPARSH प्रणाली की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से यथेष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

4. शासनादेश दिनाँक 10 जुलाई, 2025 एवं शासनादेश दिनाँक 23 जुलाई, 2025 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव ।

पत्र सं0-11/2025/बी-1-1061(1)/दस-2025, तद्दिनाँक :-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in